ALL INDIA ASSOCIATIO N OF COAL EXECUTIVES (AIACE)
(Regd. under The Trade Union Act 1926; Regd. No. 546 / 2016)
302, Block No. - 304, RamKrishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda, Bilaspur (CG)
Website: www.aiace.co.in; Email: centralaiace@gmail.com; Ph. 9907434051

संदर्भ एआइएसीई./सेंट्रल/2020/083 ***दि॰ 23.8.2020***

सेवा में,
माननीय श्री अरुणसाव जी,
सांसद, बिलासपुर (छ.ग॰)

विषय:-- <u>सेवा निवृत कोयला कर्मियों की पेंशन संबंधी दुर्दशा पर ध्यानाकर्षण</u>

महोदय,

एआइएसीई नामक हमारा यह संगठन कोल इंडिया व सिंगारेनी कोल कम्पनी में कार्यरत व सेवानिवृत एवं साथ ही उनके बेसहारा आश्रितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है जो अपने सदस्यों व कम्पनी के कल्याण हेतु सतत प्रयासरत है व भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से पंजीकृत भी है॰

इसी क्रम में एआईएसीएई सेवा निवृत कोयला कर्मियों की पेंशन से संबंधित दुर्दशा के प्रति संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षण करने की अनुमति चाहता है ताकि सके समाधान के लिए उचित स्तर पर प्रयास हो सकें॰

ज्ञात हो कि कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक व अधिकारी अपने प्राप्य सीएमपीएफ पेंशन को ले कर अत्यंत व्यथित हैं, साथ ही कोयला अधिकारी अपने अंशदान से सृजित एक एनपीएस के विलंब से कार्यान्वित होने पर देय सूद का भुगतान सरकारी उदासीनता से लंबित होने के कारण विचलित हैं॰

सर्वप्रथम, सीएमपीएफ पेंशन की बात करें तो कोयला कर्मियों के सेवा उपरांत कल्याण के लिए वर्ष 1948 मे संसद द्वारा पारित अधिनियमानुसार सीएमपीएफ का गठन किया गया था॰ तदुपरान्त, 23 वर्ष पश्चात 1971 में एक आधी-अधूरी पेंशन योजना अधिसूचित की गयी॰ 27 वर्ष पश्चात पुनः इसे परिमार्जित कर वर्ष 1998 में सीएमपीएस-1998 के अंतर्गत सभी कर्मियों के लिए एक संशोधित पेंशन योजना लाई गयी॰ शुरू में तो यह योजना अति आकर्षक लगी क्योंकि इसमें प्रत्येक 3 वर्ष मे पुनरीक्षण का प्रावधान भी था॰ मगर, "**समरथ को नहीं दोष गुसाईं**" की तर्ज पर सरकारें व प्रबंधन आती गयीं व जाती गईं, मगर पिछले 22 वर्षों में एक बार भी पुनरीक्षण नहीं हुआ॰ कोयला कंपनियाँ करोड़ों रुपये लाभांश मे केंद्र सरकार को प्रति वर्ष देती गयीं, पर त्रुटिपूर्ण कोष प्रबंधन का शिकार सभी श्रमिक होते रहे॰

इसी तरह कोयला अधिकारियों के वर्ष 2007 के वेतन पुनरीक्षण मे प्रस्तावित एक अंशदायी पेंशन योजना को धरातल मे लाने में 12 वर्ष लग गए व 2019 मे इसे शुरू किया गया॰ 12 वर्षों में देय सूद की राशि कोयला कंपनियों के बही-खाते में जमा है, मगर स्वयं समुचित निर्णय ना ले कर इसके भुगतान का मामला केंद्र सरकार के पाले में दिशा निर्देश हेतु डाल दिया गया व 2 वर्षों से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है॰ भुगतान की राह देखते-देखते कई अधिकारी काल-कवलित हो गये, अब उनके नामांकित उत्तराधिकारी बाट जोह रहे हैं॰

अनुरोध है कि, इस ओर प्रयास हो ताकि सरकार जितनी प्राथमिकता कोयला उद्योग को देती है, उतनी ही प्राथमिकता कोयला श्रमिकों के प्रति भी दे॰

आपसे सविनय निवेदन है कि आप अपनी ओर से इस संबंध में हमारी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर हमारी तकलीफ़ों का अंत करने की कृपा करेंगें॰

(पी के सिंह राठोर)
प्रधान महासचिव, एआइएसीई